न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/511
मिसलनम्बर– 118/2022

1.शशि शर्मा आयु 66 वर्ष पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण
2.राजेन्द्र कुमार शर्मा आयु 67 पुत्र श्री शिव चन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासीगण – 2–ए–25, महावीर नगर–3, कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

अर्चना शर्मा पत्नी स्व0 शैलेन्द्र गौड पुत्री श्री सीताराम शर्मा जाति– ब्राहम्ण निवासी – मकान नम्बर 2633; सचिवालय नगर, नीयर वाटिका मोड, जयपुर कार्यालय पता – अर्चना शर्मा डिप्टी मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ए–17–20, इन्द्रा पैलेस, गौरव टावर के पास, मालवीय नगर, जयपुर राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 2.1.11.24

उपस्थितिः–
1.श्री धीरज कुमार जैन प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री समीउद्दीन अप्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण क्रमशः 66 वर्ष व 67 वर्ष के वरिष्ठ एवं अत्यंत वृद्व नागरिक है। प्रार्थीगण का एक मात्र पुत्र शैलेन्द्र गौड था, जिसका विवाह अप्रार्थिया से वर्ष 30.11.2012 को आई.एल. टाउनशिप में सम्पन्न हुआ था प्रार्थीगण का पुत्र विपरो कम्पनी में एवं अप्रार्थिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूणे में होने के कारण प्रार्थिया पुत्रवधु के साथ ही रहती थी प्रार्थीगण के पुत्र के नुत्फे से अप्रार्थिया को दिनांक 11.08.2014 को एक पुत्र रतन की प्राप्ति कोटा में हुई। सन्तान उत्पत्ति के उपरान्त अप्रार्थिया, प्रार्थीगण के पुत्र के साथ पूणे ही रह रही थी, तत्समय प्रार्थीगण के पुत्र द्वारा उसकी सम्पूर्ण की जा रही थी। दिनांक 13.12.2016 को एक रोड एक्सीडेन्ट में प्रार्थीगण के पुत्र की मृत्यु होने के पश्चात् समस्त कार्यक्रम प्रार्थीगण द्वारा ही किये गये तथा कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात् अप्रार्थिया ने अपना ट्रांसफर जयपुर करवाकर जयपुर में ही निवास कर रही है। पुत्र की मृत्यु के पश्चात् कम्पनी तथा उसके बीमा व पी.एफ. की राशि लगभग 40,00,000/– चालीस लाख रूपये अप्रार्थिया को प्राप्त हुए जिसमें प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

का 1/3 हिस्सा है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त हिस्सा मांगने पर अप्रार्थिया द्वारा स्पष्ट इन्कार कर दिया जाता है। अप्रार्थिया द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है, पुत्र वधु होने के बावजूद भी ना तो सार संभाल की जा रही है और ना ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता की जा रही है। अप्रार्थिया बैंक में कार्य करते हुए लगभग 1,00,000/– रूपये अक्षरे एक लाख रूपये प्राप्त कर रही हैं, इसके अतिरिक्त आप्रार्थिया को विपरो कम्पनी द्वारा पेंशन भी प्राप्त हो रही है। अप्रार्थिया से प्रार्थीगण को भरण–पोषण की राशि के रूप में 40,000/– रूपये अक्षरे चालीस हजार रूपये प्रतिमाह दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थिया ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि अप्रार्थिया के पति का देहान्त होने के पश्चात् अब प्रार्थीगण व अप्रार्थिया के बीच पुत्र वधु का संबंध होना स्वीकार नहीं है। अप्रार्थिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र जयपुर में सर्विस करती है, जो अपना व अपने पुत्र गौरांश का ख्याल रखने में सक्षम है। अप्रार्थिया के पति की रोड एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो जाने के पश्चात् समस्त कार्यक्रम आप्रार्थिया ने स्वयं के स्तर से किये थे, पति की मृत्यु के उपरान्त कार्यक्रम के दौरान अप्रार्थिया व प्रार्थीगण कुन्ड पर गये थे, जहां प्रार्थी क्रम 01 ने आप्रार्थिया को जान से मारने की नियत से जान बूझकर पानी के कुन्ड में धक्का दे दिया गया था, जो कि समय पर मौजूद अन्य लोगों ने अप्रार्थिया को डूबने से बचाया, तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थिया व उसके नाबालिग पुत्र को लडाई झगडा करके अप्रार्थिया पर यह इल्जाम लगा कर कि तू मनहूस है हमारे पुत्र को खा गई। और घर से निकाल दिया तब से अप्रार्थिया अपने नाबालिग पुत्र को अपने संरक्षण में रखकर जयपुर में निवास कर रही है। आप्रार्थिया पत्नि होने के नाते शेलेन्द्र गौड की कानूनी रूप से वारिस व नोमिनी थी। इसी प्रकार शेलेन्द्र गौड के पुत्र गोरांश शर्मा भी शेलेन्द्र गौड का एक मात्र कानूनी वारिस है। इस कारण शेलेन्द्र गौड की मृत्यु के पश्चात् कम्पनी से मिलने वाले सारे लाभ अप्रार्थिया को मिलने थे। शेलेन्द्र गौड की मृत्यु होने से वर्तमान व भविष्य में नुक्सान अप्रार्थिया व उसके नाबालिग पुत्र को ही हुआ है। अप्रार्थिया कम उम्र में विधवा हो गई एवं अप्रार्थिया के पुत्र के सिर से पिता का साया उठ गया। अप्रार्थिया को अपने पुत्र के भविष्य के लिए समाज में अकेले ही रहकर अपने संरक्षण में परवरिश व लालन पालन व अच्छी शिक्षा दिलानी पडेगी। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कम्पनी के माध्यम से चालीख लाख रूपये मिलना बताया है जो सरासर मनगढन्त राशि अंकित की गई है, जिसका कोई प्रमाण भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि में अपना 1/3 हिस्सा मांगा है जिस पर उनका कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थिया द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से बनाई गई चल अचल सम्पत्ति को हडप करने के लिए अप्रार्थिया पर दबाव बनाने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे कि वर्तमान व भविष्य में अप्रार्थिया व उसका पुत्र गौरांश प्रार्थीगण की चल अचल सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का अपना हक व अधिकार नहीं मागें। प्रार्थीगण का कोटा में ग्राउन्ड फलोर के अतिरिक्त 20x50 वर्गफीट का तीन मंजिला मकान नं0 2–ए–25, सेक्टर 2 महावीर नगर थर्ड कोटा में स्थित है जिसमें ग्राउण्डफलोर में प्रार्थीगण निवास करते है अतिरिक्त तीन मंजिलो में निर्मित 10–12 कमरों में कोचिंग के विद्यार्थियों को किराये पर रखकर लगभग प्रार्थीगण को 50 हजार रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त होती है। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण स्वयं अपने उपर ही करते है। अप्रार्थिया के पति द्वारा अपने जीवन काल में एक भूखण्ड कोटा में क्रय किया गया था, जिसके खरीद के कागद आदि प्रार्थीगण के कब्जे में है, उक्त भूखण्ड पर कब्जा भी प्रार्थीगण का ही है। अप्रार्थिया के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

पति की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थिया द्वारा बार–बार उक्त भूखण्ड का कब्जा व असल कागज प्रार्थीगण से मांगे गये तो प्रार्थीगण द्वारा आज तक भी उक्त भूखण्ड का कब्जा व कागज अप्रार्थिया को नही दिये गये। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थिया के पति के उक्त भूखण्ड पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी क्रम 02 डीसीएम से रिटायर्ड है जिनको रिटायरमेन्ट पश्चात् काफी पैसा मिला था एवं पेशन भी मिलती है। जबकि अप्रार्थिया स्वयं की योग्यता से नौकरी पाकर नौकरी कर रही है प्रार्थीगण को अपनी पुत्र वधु से किसी भी प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नही है। बल्कि अप्रार्थिया के पुत्र गौरांश शर्मा का प्रार्थीगण की चल अचल सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार है, क्योंकि अप्रार्थिया का पुत्र प्रार्थीगण के एक मात्र पुत्र की एक मात्र संतान है। प्रार्थीगण अपना भरण पोषण करने में समर्थ है। प्रार्थीगण के पुत्र का देहान्त 2016 में ही हो गया था, प्रार्थीगण गत लगभग 06 वर्ष से अपना भरण पोषण कैसे कर रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रार्थीगण अपना भरण पोषण करने मे सक्षम व समर्थ है। प्रार्थीगण को किसी भी हैसियत से अप्रार्थिया से अपना भरण पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थिया को परेशान करने व दबाव बनाकर उसकी चल अचल सम्पत्ति को बदनियाती से प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है।

हमने उभय पक्षकारों के अभिभाषक की बहस सुनी।

प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि अप्रार्थिया, प्रार्थीगण की पुत्र वधु है। अप्रार्थिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जयुपर में बैंक पी0ओ0 के पद कार्यरत है। भरण पोषण की राशि देने में सक्षम है। प्रार्थीगण के पुत्र की मृत्यु के उपरान्त कम्पनी तथा उसके बीमा व पी.एफ. की राशि अप्रार्थिया को प्राप्त हुई है। अतः भरण पोषण दिलवाया जावें।

आप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अनुरोध किया गया कि अप्रार्थिया के जवाब को ही लिखित बहस मानी जावें।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र की मृत्योपरान्त प्राप्त राशि में से 1/3 राशि की मांग की गई है, तथा आप्रार्थिया के सेवारत होने से उससे भरण–पोषण की मांग की गई है, लेकिन अप्रार्थिया के इस कथन का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है, कि प्रार्थीगण का महावीर नगर तृतीय में तीन मंजिला मकान है, जिसके किराये से उन्हे 50 हजार रूपये की मासिक आय होती है। हमारे विनम्र मत में यदि प्रार्थीगण के आय का स्त्रोत है तो भरण–पोषण की मांग न्यायोचित नहीं है। परिणामस्वरूप भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक .....21/11/24..... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा